

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक अप्रैल, 2013

पत्र संख्या-1/एल1-10-13/2009 गृ0आ0 /विभागीय अधिसूचना संख्या-2574, दिनांक 02.04.2013 द्वारा स्वीकृत उपार्जित अवकाश का उपभोग नहीं करने के फलस्वरूप श्रीमती गरिमा मल्लिक, भा0पु0से0 समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-2, डिहरी के अनुरोध पर दिनांक 21.03.2013 से 10.04.2013 तक कुल 21 (एक्कीस) दिनों का स्वीकृत उपार्जित अवकाश रद्द किया जाता है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राजीव रंजन सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-13/2009 गृ0आ0 /पटना, दिनांक अप्रैल, 2013
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-13/2009 गृ0आ0 /पटना, दिनांक अप्रैल, 2013
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-13/2009 गृ0आ0 3279 /पटना, दिनांक 27/4 अप्रैल, 2013
प्रतिलिपि:-अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ श्रीमती गरिमा मल्लिक, भा0पु0से0 समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-2, डिहरी/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


30/4/13
सरकार के संयुक्त सचिव।